भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 153
जिसका उत्तर मंगलवार 11 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

एफएएमई इंडिया योजना का कार्यान्वयन

153. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:
डॉ. किरिट पी. सोलंकी:
श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और विनिर्माण (एफएएमई) की भारत योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया;
(ग) एफएएमई भारत योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा है; और
(घ) इस योजना का लाभ अधिकतम लोग उठाएं यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों और इन प्रयासों की सफलता के बारे में सरकार द्वारा किए गए आंतरिक आंकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत् वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भारी उद्योग विभाग ने वर्ष 2015 में एक योजना नामतः फेम इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की।

बल दिए जाने वाले मांग सृजन क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में निश्चित छूट दी जाती है। इस योजना के आरंभ होने तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 तक, सरकार ने लगभग 2,61,507 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वहानों के लिए वित्तीय सहायता (मांग प्रोत्साहन) दी है। मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए फेम-इंडिया स्कीम के तहत 27 ओईएम के वाहनों के कुल 119 मॉडल पंजीकृत किए गए।

इस स्कीम के अनुसार, बल दिए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों नामतः प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास); प्रायोगिक परियोजनाएं; चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों का सरकार द्वारा निधियन किया जाता है।

(ख): इस स्कीम के अंतर्गत किया गया धनराशि आवंटन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित धनराशि
1	2015-16	₹75.00 करोड़
2	2016-17	₹144.00 करोड़
3	2017-18	₹165.00 करोड़
4	2018-19	₹195.00 करोड़
योग		**₹579.00 करोड़**

इसके अलावा, फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के कुल परिव्यय को ₹795 करोड़ से बढ़ाकर ₹895 करोड़ कर दिया गया है, जिसे दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के का.आ.5806(ई) के द्वारा अधिसूचित किया गया।

(ग): इस स्कीम का चरण-I, जो आरंभ में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर दो वर्षों की अवधि के लिए था, को दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा फेम-II की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(घ): फेम-इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी। इस स्कीम के आरंभ होने से लेकर अब तक इस योजना में अनेक घटकों को जोड़ा गया है ताकि और अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। इसी भावना के साथ, सार्वजनिक परिवहन में विद्युतीकरण की सहायता करने के लिए इस योजना में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बसों के समर्थन को जोड़ा गया है। इस तथ्य के द्वारा इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं कि भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 को आरंभ की गई एक प्रायोगिक योजना में 9 शहरों के लिए अब तक 455 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की हैं, जिसमें 3144 ई-बसें लेने के लिए 44 शहरों ने रुचि दिखाई है।

****